


उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

(कार्मिक अनुभाग-एक)
संख्या 63 सी / उ0नि0(एक)-20/2018-19
देहरादून: दिनांक 04 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 30/XXX-2/2018- 30 (13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 द्वारा जारी उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 द्वारा जारी स्थानान्तरण अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्थाओं के परिपेक्ष्य में उद्योग निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वर्ष, 2018 में समूह "ग" एवं "घ" के कार्मिकों के स्थानान्तरण सम्बन्धी सभी प्रस्तावों पर विचार करने एवं तदनुसार स्थानान्तरण हेतु अपनी संस्तुतियां प्रदान करने हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है :-


1. श्रीमती कौशलया बन्धु, अपर निदेशक उद्योग- अध्यक्ष।
2. श्री जी0डी0प्रसाद, उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग- सदस्य।
3. श्री अनुपम द्विवेदी, उप निदेशक उद्योग- सदस्य।


(सचिव)
महानिदेशक / आयुक्त उद्योग।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन।
2. उपरोक्त अधिकारीगण।
3. गार्ड फाईल।


(के0के0काटनाला)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।